



उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 4812/2026

मोहम्मद अशर

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रधान सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- आफरीन बानो

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 0036/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) एवं 61(2) के अन्तर्गत विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक केन्द्र सरकार का कर्मचारी है तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। उन्होंने आगे यह प्रस्तुत किया कि संस्था के उपस्थिति अभिलेख के अनुसार आवेदक उक्त अवधि में वहाँ उपस्थित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

था और इसलिए, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वह उत्तर प्रदेश स्थित प्रश्नगत बैंक खाते से धनराशि आहरित कर सकता था।

4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का रिश्तेदार उमेर अहमद, अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों, जिनमें एक बैंक कर्मचारी भी सम्मिलित है, के साथ मिलीभगत करके आवेदक के खाते में धोखाधड़ीपूर्वक धनराशि स्थानांतरित कर दी थी और उसके पश्चात उक्त धनराशि आहरित कर ली थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, इसलिए आवेदक द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की कोई संभावना नहीं है तथा अब आवेदक से अभिरक्षात्मक पूछताछ की भी कोई आवश्यकता नहीं है।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त शरद मौर्य को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विधि का पालन करने वाला नागरिक है तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग भी करेगा। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक को कारागार में निरुद्ध रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 16.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है। अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक यह आश्वासन देता है कि जमानत पर रिहा किए जाने पर वह विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं और इसलिए वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त यह प्रतीत होता है कि आवेदक केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर कार्यरत है तथा जमानत आवेदन के साथ प्रस्तुत उपस्थिति अभिलेख के अनुसार, संबंधित तिथि को वह अपने पदस्थापन स्थल पर उपस्थित था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त शरद मौर्य, जिसके विरुद्ध कूटरचित बीमा पॉलिसी/बंधपत्र तैयार करने का आरोप है, को इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 13.05.2026 के माध्यम से दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 3419/2026 में पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। साथ ही, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक दिनांक 16.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है तथा आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक - **मोहम्मद अशर** को व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर, निम्नवत् शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(1) आवेदक विवेचना अथवा विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्य के साथ साक्षियों को डराकर/दबाव डालकर अथवा अन्यथा किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(2) आवेदक इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। वह प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसके अनुपस्थित रहने की स्थिति में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-क के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता है;

(3) आवेदक (i) मामले की कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने, (ii) आरोप विरचित किए जाने तथा (iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा; तथा

(4) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-क के अन्तर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

9. जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास संबंधी प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को जमानत निरस्त करने तथा आवेदक को जेल भेजने की स्वतंत्रता होगी।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल इस जमानत आवेदन के निस्तारण तक ही सीमित हैं तथा इन्हें मामले के गुण-दोष पर किसी प्रकार की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जून 30, 2026

दिव्या

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।